रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-383/2026/2386/22-2-2025-17(1392)/2022

लखनऊ : दिनांक: 10 अप्रैल, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.7.2021 तथा शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-2(ख) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस(16 नवम्बर, 2025) के अवसर पर जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शहजाद (बन्दी संख्या-4092/2012) पुत्र श्री अबुलास, निवासी-कम्हेडा, थाना-ककरौली, जनपद-मुजफ्फरनगर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-148/2005, में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 149, 302, 201, 436 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-12, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक-16.08.2012 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी के ऊपर अन्य 02 विचाराधीन वाद क्रमशः (1) अ०सं०-1351/2008, भा0द0वि0 की धारा-396, 412 थाना-गजरौला जिला-अमरोहा (जे०पी० नगर) का वाद विचाराधीन है। (2) अ०सं०-138/2004, भा0द0वि0 की धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना-भोपा, जिला-मुजफ्फरनगर का वाद विचाराधीन है। बन्दी द्वारा दिनांक 09.05.2025 तक अपरिहार 17 वर्ष, 01 माह, 19 दिन एवं सपरिहार 21 वर्ष, 2 माह, 26 दिन की सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण संतोष जनक है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रूपये 50000/-(रूपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या-383/2026/2386(1)/22-2-2025 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।

3- वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, मुजफ्फरनगर।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) सं0-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन(क्रिमि0) सं0-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

6- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।

8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in